विवरण-II

योजना के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए किए गये उपायों की सूची

(i) योजना की मानिटरिंग के लिए 1.4.92 से प्रबन्ध सूचना प्रणाली शुरू की गयी है।

(ii) शहरी लघु उद्यम स्कीम के लिए बैंकों की मार्फत आसानी से संस्थागत वित्त पाने में आने वाली कठिनाइयों पर विचार के लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति गठित की गयी।

(iii) नेहरू रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों का पता लगने के लिए बैंकों के सहयोग से नगर स्तर पर कार्य दल बनाये गये है।

(iv) योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए सचिव स्तर पर बैठकें की जाती हैं।

(v) स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों का 19 और 20 दिसम्बर, 1995 को एक दो दिवसीय अखिल, भारतीय शहरी गरीबी उपशमन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों के आवास, शहरी विकास तथा स्थानीय प्रशासन मंत्रियों और सचिवों ने भाग लिया था।

(vi) राज्यों के आवास, शहरी विकास तथा स्थानीय प्रशासन मंत्रियों और सचिवों का 15 जनवरी, 1996 को एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

(vii) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और मोनिटरिंग के लिए राज्यों/संघ प्रदेशों से राज्य शहरी विकास एजेंसी (सूडा) तथा जिला शहरी विकास एजेंसी (डूडा) गठित करने का आग्रह किया गया है।

(viii) आवास तथा आश्रय सुधार योजना को एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में लागू किया गया जिसका तात्पर्य यह है कि इस योजना की अब 20 हजार तक की आबादी वाले शहरों में लागू किया जा सकता है।

(ix) एक नियत अन्तराल पर प्रत्येक राज्य/संघ प्रदेश को विशिष्ट शासकीय पत्र लिखे जाते है जिनमें वित्तीय व भौतिक प्रगति तथा अन्य ब्यौरों की स्थिति का उल्लेख होता है।

(x) वर्ष 1992-93 से घटिया कार्य निष्पादन वाले राज्यों के लिये नियत धनराशि बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों को दी जाने लगी है।

सैक्टर-4, डी० आई० जेड, क्षेत्र में छज्जों (बाल्कनियों) का निर्माण

711. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सैक्टर-4, डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली के ब्लाक नंबर 1 से 8 में सरकारी मकानों में छज्जों (बालकनियों) के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक छज्जों (बालकनियों) का निर्माण न किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु): (क) जी हां। डी० आई० जेड० एरिया, सैक्टर-4, के ब्लाक नं० 1 से 8 तक के सरकारी क्वार्टरों में बाल्कनियों के निर्माण के लिए अगस्त, 1996 में 16.34 लाख रुपये की स्वीकृति की गई है।

(ख) नई दिल्ली नगर निगम द्वारा वास्तुकीय ड्राइंग्स अब तक जारी तथा पुनः वैधीकृत नहीं किए गए है। नई दिल्ली नगर परिषद् से नक्शे अनुमोदित कराने के प्रयास किए जा रहे है।

(ग) नक्शों पर अनुमोदन प्राप्त होने पर निर्माण कार्य निधियों की उपलब्धता के आधार पर 6 महीने में पूरा किया जा सकता है।

Misuse of HUDCO amount by Mineral Area Development Authority

712. **SHRI SANJAY NIRUPAM:** Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) has allotted a huge amount to Mineral Area Development Authority,